पुनरीक्षण याचिका क्र० /१३-१४

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

१- वारिसअली पिता मीरगनी
उम्र ७० वर्ष, धन्धा कृषि व व्यापार
पता महात्मा गांधी मार्ग, देपालपुर
जिला इन्दौर ·

२- यावरअली पिता मीर गनी
आयु ६६ वर्ष, धन्धा चिकित्सक
पता महात्मा गांधी मार्ग, देपालपुर
जिला इन्दौर ·

३- तेजमल पिता बसन्तीलाल जैन
उम्र वर्ष, धन्धा व्यापार
पता महात्मा गांधी मार्ग, देपालपुर
जिला इन्दौर · -- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१- अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर
व्दारा कलेक्टर, जिला इन्दौर

२- मध्यप्रदेश शासनव्दारा कलेक्टर महोदय
जिला इन्दौर

३- तहसीलदार महोदय, तहसील देपालपुर
तहसील कार्यालय, देपालपुर -- प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण आवेदनपत्र धारा ५० भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत

श्री रविन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर, इन्दौर व्दारा प्रकरण क्र० १अ-३६/२०११-१२ में पारित आदेश दिनांक २५/०३/२०१४ जिसकी जानकारी प्रार्थी/अनावेदकगण को दि० ०६/०४/२०१४ को प्राप्त हुई, से असन्तुष्ट एवम् दुखित होकर प्रार्थीगण यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर नियत समयावधि में सादर प्रस्तुत करते है -

--२ पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1343-पीबीआर/14 जिला इंदौर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 23-1-2019 | आवेदकगण की ओर से श्री दिनेश कारपेंटर, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक को सूचना दिया जाये ।<br>अध्यक्ष | |